न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी राजगढ़(अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार (R.A.S)
कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत तिलवाड़

वाद संख्या 2/114/2016

अनुवान
1.रामकरण पुत्र श्योनारायण जाति मीणा निवासी ग्राम तिलवाडी तहसील राजगढ़ ...प्रार्थी

बनाम
1.राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर महोदय अलवर
2.तहसीलदार राजगढ़ ..... अप्रार्थी
3.उपतहसीलदार टहला

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

दिनांक 22.05.2018

आज यह पत्रावली कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत तिलवाड़ पर वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से पेश हुई।प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का इस न्यायालय में पेश कर निवेदन किया कि साबिक आराजी खसरा संख्या 41मिन रकबा 8 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम तिलवाडी तहसील राजगढ़ मे स्थित हैं जो आराजी छाज्या पुत्र नेता मीना को 1978 में आवंटित हुई थी जिस पर वह काबिज होकर काश्त करता था।छाज्या द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त आराजी व अन्य संपति का वसियत नामा प्रार्थी को वर्ष 2005 में कर दिया था बंदोबस्त सम्वंत 2046 में गत खसरा संख्या 41मिन रकबा 8 बीघा 18 बिस्वा का नवीन खसरा नम्बर 46 रकबा 0.46 हैक0 कायम किया तथा गत के मुताबिक 1.77 हैक0 रकबा कम दर्ज किया तथा खसरा न0 हाल 67/6.42 हैक0 में शामिल कर आराजी को सिवायचक दर्ज कर दी गई। अब अप्रार्थी गण उक्त गलत इन्द्राज की आढ में प्रार्थिनी को बेदखल करना चाहता है तथा कार्य काश्त में रूकावट मजाहमत करते है यदि उनके द्वारा ऐसा किया गया तो प्रार्थी को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया कि वो आराजी विवादित से प्रार्थी को बेदखल नही करे तथा कार्यकाश्त प्रार्थी में किसी प्रकार की रूकावट मजाहमत पैदा न करे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र प्रार्थी तथ्यों को अस्वीकार करतें हुए निवेदन किया कि आराजी विवादित हाल रिकार्ड में सिवायचक दर्ज है प्रार्थी अतिक्रमी है। बन्दोबस्त विभाग द्वारा सही इन्द्राज किया गया है। प्रार्थी का आराजी पर कब्जा काश्त नहीं है।इसलिए प्रार्थी को कोई नापूर्ती होने वाली क्षति नहीं है। प्रार्थी आराजी की खातेदार भी नहीं है। अंत में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार करने का निवेदन किया गया है।

मैनें पत्रावली का कैम्प कोर्ट तिलवाड़ पर स्वप्रेरणा से निर्णय हेतु अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संम्वत 2051–54 वाके ग्राम तिलवाडी के अंकित इन्द्राज के अनुसार हाल आराजी खसरा न0 67/6.42 हैक0 सिवायचक दर्ज है।जैसा कि तहसीलदार राजगढ़ द्वारा अपने जवाब में भी अंकित किया है कि सिवायचक भूमि होने के कारण अतिक्रमी के विरूद्ध उन्हें आराजी से बेदखल करने का कानूनी अधिकार है मुताबिक जमाबंदी संम्वत 2051–54 वाके ग्राम तिलवाडी के अंकित इन्द्राज के अनुसार हाल आराजी खसरा न0 67/6.42 हैक0 सिवायचक दर्ज होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं है। तथा सिवायचक भूमि पर कब्जा काश्त करने का भी प्रार्थी को अधिकार साबित नहीं है यदि सिवायचक भूमि से प्रार्थी को अप्रार्थी द्वारा बेदखल किया जाता है तो प्रार्थी को नापूर्ति होने वाली क्षति भी साबित नही है।अतः प्राथना पत्र प्रार्थी काबिल स्वीकार योग्य नहीं है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धार 212 आरटी एक्ट हाल खसरा न0 67/6.42 हैक0 वाके ग्राम ककराली रामपुरा तहसील राजगढ़ मे से 1.77 हैक्टेयर भूमि से संबंधित प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली न0 से कम होकर मूल वाद के संलग्न हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय आज दिनांक 22.05.2018 को लिखाया जाकर कैम्प कोर्ट तिलवाड़ पर सुनाया गया।

(पवन कुमार आर.ए.एस)
उपखण्ड् अधिकारी राजगढ़
कैम्प कोर्ट तिलवाड़